रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937
No. 920] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015 /VAISAKHA 15, 1937

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2015

का.आ.1177(अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 04.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2818 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना सं. 2563 (अ) के तहत अशांत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था।

यत: दिनांक 27.03.2015 की अधिसूचना का.आ. 869 के तहत असम राज्य की सीमा से लगे तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।

और यत: अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे असम के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से यह पता चलता है कि असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस थानों के भीतर आने वाले क्षेत्र गंभीर चिंता का कारण बने हुए हैं।

अत: अब, दिनांक 27.3.2015 की अधिसूचना का का.आ. 869 के अधिक्रमण में असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ: महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाना;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने, और

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से छः माह तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। दिनांक 27 मार्च, 2015 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि दिनांक 27.03.2015 के का.आ. 869 के अंतर्गत शामिल रहेगी।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2015

S.O.1177 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam, including the areas falling within 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam, as 'disturbed area' vide Notification S.O. 2818 (E) dated 4.11.2014.

Whereas Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, vide Notification No. 2563(E), dated 30.9.2014.

Whereas, vide notification S.O. 869 dated 27.3.2015, all the districts in the State of Arunachal Pradesh, including Tirap, Changlang and Longding districts in the State, bordering the State of Assam were declared as disturbed area.

And whereas a further review of the Law and order situation in entire districts in Assam bordering Arunachal Pradesh reveals that areas lying within the Police Stations in Arunachal Pradesh bordering Assam remain a cause of serious concern.

Now, therefore, in supersession of the notification S.O. 869 dated 27.3.2015, the area falling within the jurisdiction of following police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months from the date of publication of this Notification, unless withdrawn earlier:-

i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
ii) Likabali police station in West Siang district;
iii) Ruksin,Nari and Oyan police stations in East Siang district;
iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
v) Seijosa police station in East Kameng district;
vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district; and
viii) Sunpura police station in Lohit district.
ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

Further, the whole of Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh are declared as 'disturbed area' under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months from the date of publication of this Notification. The period between 27th March 2015 to till date of publication of this notification shall remain covered under S.O.869 dated 27.03.2015.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.